

प्रेषक,

प्रकाश कुमार,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
गया /जहानाबाद /दरभंगा /नवादा /पूर्वी चंपारण(मोतिहारी) /कैमुर(भभुआ) /
डालमियानगर (रोहतास) /समस्तीपुर ।

पटना, दिनांक :- 3.9.15

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम- राज्य योजना-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास- मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0101-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी0 2230011120101) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय के निमित्त राज्यांश की राशि प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की दर से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है। केन्द्रांश की राशि भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरांत दी जाएगी ।

प्राथमिक इकाईयाँ	जिला का नाम	कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	आवंटित राशि	अभ्युक्ति
व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28-01)	गया	50	500000	श्रम अधीक्षक (क०श्र०) गया के पत्रांक-271 दि.-9.5.15 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से दिनांक-15.01.15 को विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 50 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	जहानाबाद	02	20000	श्रम अधीक्षक, जहानाबाद के पत्रांक-425 दि.-09.07.15 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 02 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	दरभंगा	01	10000	श्रम अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक-1015 दि.-01.07.15 के आलोक में पहाड़गंज (दिल्ली) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	नवादा	52	520000	श्रम अधीक्षक, नवादा के पत्रांक-66 दि.-30.03.15 के आलोक में बहादुरगढ़, झज्जर, (हरियाणा) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 52 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	पूर्वी चंपारण, मोतिहारी	03	30000	श्रम अधीक्षक, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के पत्रांक-642 दि.- 26.06.15 के आलोक में दूसरे राज्यों से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 03 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	कैमुर(भभुआ)	04	40000	श्रम अधीक्षक, कैमुर (भभुआ) के पत्रांक-412 दि.-30.06.15 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) से विमुक्त कराये गये अनुसूचित जाति के 04 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	डालमियानगर (रोहतास)	01	10000	श्रम अधीक्षक, डालमियानगर (रोहतास) के पत्रांक-256 दि.-01.04.15 के आलोक में देवबंध, सहारनपुर (यू.पी.) से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 01 बंधुआ मजदूरों के लिए ।
तदैव	समस्तीपुर	76	760000	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक-884 दि.-18.08.14 के आलोक में जयपुर (राजस्थान) एवं दिल्ली से विमुक्त कराये गये सामान्य/अन्य जाति के 59 तथा अनुसूचित जाति के 17 अर्थात् कुल 76 बंधुआ मजदूरों के लिए
कुल योग		189	1890000	

कुल आवंटित राशि रूपये 18,90,000 /- (रूपये अठारह लाख नब्बे हजार) मात्र ।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि० दिनांक-24.03.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.06.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/ वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा।
4. इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।
5. अनुसूचित जाति के लिए उपबंधित राशि समाप्त होने के कारण सामान्य जाति के लिए उपबंधित राशि में से अनुसूचित जाति के कुल 129 बंधुआ मजदूरों को लाभांवित करने हेतु राशि आवंटित की जा रही है।
6. आवंटन विमुक्त किये जाने के प्रस्ताव में सचिव, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(प्रकाश कुमार)

श्रमायुक्त, बिहार।
03/9/15

ज्ञापांक-6/एफ1-305/2015 श्र०सं०

45

पटना, दिनांक

3.9.15

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(प्रकाश कुमार)

श्रमायुक्त, बिहार।
03/9/15

ज्ञापांक- 6/एफ1-305/2015 श्र०सं०

45

पटना, दिनांक

3.9.15

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष/सहायक श्रमायुक्त (प्रभारी पदाधिकारी, मुख्यालय) एवं प्रशाखा-01 श्रम पक्ष को उनके गै०स०प्रे०सं०-81, 115, 124, 126, 136, 132 एवं 156 (श्रम पक्ष) क्रमशः दि.-15.5.15, 2.7.15, 8.7.15, 9.7.15 21.7.15, 15.7.15 एवं 24.8.15 के आलोक में प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

(प्रकाश कुमार)

श्रमायुक्त, बिहार।
03/9/15